

राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10924/2016

डॉ. गीता चौधरी पुत्री श्री छोटूराम, उम्र 46 वर्ष, निवासी 6 ए-62, कुरी भगतासनी
हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, सचिवालय,
राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।
2. निदेशक (सार्वजनिक स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय बांगड़ अस्पताल, पाली

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री यशपाल खिलेरी

श्रीमती विनीता

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री हर्षवर्धन सिंह

श्री महावीर बिश्नोई - एएजी

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

23/04/2024

1. प्रारंभ में, अनजाने में दिनांक 04.03.2024 के आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने समय मांगा था। जबकि, यह प्रतिवादियों के विद्वान वकील थे, जिन्होंने पेंशन बकाया के वितरण में कानूनी बाधाओं के बारे में निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा था।

2. याचिकाकर्ता वर्तमान रिट याचिका दायर करके प्रतिवादियों को निर्देश देने की मांग करता है कि वे याचिकाकर्ता को राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 (जिसे आगे 'नियम 1996' कहा जाता है) के नियम 50(2) के अनुसार 15.09.2016 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त मानें और सभी सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करें।

3. संक्षेप में, प्रासंगिक तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता को 29.11.2000 को चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था।

3.1. याचिकाकर्ता ने 1996 के नियम 50(1) की आवश्यकता के अनुसार संबंधित प्राधिकारी को लिखित में तीन महीने पूर्व नोटिस देकर 15.06.2016 को एक आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें 15.09.2016 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगी गई थी। 23.06.2016 के कार्यालय पत्र के माध्यम से उसका आवेदन प्रधान चिकित्सा अधिकारी द्वारा अग्रेषित किया गया था जिसमें उल्लेख किया गया था कि उसके खिलाफ कोई जांच लंबित या विचाराधीन नहीं है।

4. चूंकि राज्य सरकार ने न तो तीन महीने की निर्धारित अवधि के भीतर जवाब दिया और न ही याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया और, इस तरह, याचिकाकर्ता ने खुद को 1996 के नियमों के अनुसार सेवानिवृत्त माना। इसलिए यहां याचिका प्रस्तुत की गई है।

5. उत्तर में बचाव पक्ष ने कहा है कि याचिकाकर्ता ने स्वयं विभाग को सचेत रूप से वचन दिया था कि वह स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद दस वर्ष तक सेवा करेगी, ऐसा न करने पर उसे विभाग को 10 लाख रुपये का मुआवजा देना होगा। इसलिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए उसके अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता था।

6. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिद्वंद्वी तर्क सुने हैं और केस फाइल का अवलोकन किया है।

7. प्रतिवादियों द्वारा किया गया बचाव उसी बात की पूर्ण पुनरावृत्ति प्रतीत होता है जो उन्होंने पहले भी इसी तरह की स्थिति वाले एक अन्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. भरत

कुमार कटिवाल के मामले में बचाव के लिए किया था, जिन्होंने रिट याचिका संख्या 11962/2012 दायर की थी। उक्त याचिका का निर्णय विभाग के विरुद्ध दिनांक 21.12.2012 के विस्तृत निर्णय के माध्यम से किया गया था, जिसे याचिका के साथ अनुलग्नक-5 में संलग्न किया गया था। इससे संबंधित तथ्य इस प्रकार हैं:-

“उपर्युक्त नियम के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी कर्मचारी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की प्रार्थना को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं यदि उसने 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और उसके खिलाफ कोई जांच लंबित या विचाराधीन नहीं है। इसके अलावा, सरकार का एक निर्णय है, जिसमें, यह विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि जहां सरकारी कर्मचारी द्वारा दिया गया स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का नोटिस नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति की तिथि से पहले निर्धारित समय के भीतर स्वीकार नहीं किया जाता है, तो, सरकारी कर्मचारी स्वीकृति मान सकता है और ऐसी सेवानिवृत्ति नोटिस के अनुसार प्रभावी होगी जब तक कि सक्षम प्राधिकारी उक्त तिथि से पहले कोई आदेश जारी न कर दे।

यहां, इस मामले में, याचिकाकर्ता द्वारा 01.11.2012 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए एक विशिष्ट प्रार्थना की गई थी और इससे पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति या अस्वीकृति का कोई आदेश पारित नहीं किया गया था, इसलिए, उपरोक्त निर्णय के अनुसार, याचिकाकर्ता यह मानने का हकदार है कि वह 01.11.2012 से सेवा से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो गया है।”

8. वर्तमान मामले में एकमात्र अंतर यह है कि याचिकाकर्ता ने दस साल तक काम करने का वचन दिया था क्योंकि उसका स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम दो साल का था, जबकि डॉ. भरत कुमार कटिवाल (सुप्रा) के मामले में चिकित्सा अधिकारी ने छह महीने का कोर्स करने के लिए विभाग से अनुमति ली थी, जिसके लिए उसने पांच साल की सेवा करने का वचन दिया था। यही एकमात्र अंतर है, जबकि अंतर्निहित सिद्धांत समान है, मुझे कोई आधार नहीं दिखता कि क्यों उक्त निर्णय में दिए गए अनुपात को याचिकाकर्ता के मामले में भी लागू नहीं किया जाना चाहिए।

9. न्यायालय के प्रश्न पर, प्रतिवादियों के विद्वान वकील उक्त निर्णय में दिए गए अनुपात पर विवाद नहीं करते हैं और यह भी बताते हैं कि विभाग ने डिवीजन बेंच के समक्ष इसे

असफल रूप से चुनौती दी थी और उसके बाद इसे याचिकाकर्ता के पक्ष में लागू किया गया था।

10. परिणामस्वरूप, वर्तमान रिट याचिका भी स्वीकार की जाती है। प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को दिनांक 15.06.2016 को आवेदन प्रस्तुत करने के तीन महीने बाद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त मानें (अनुलग्नक-1)। इसके परिणामस्वरूप, प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे उसे देय तिथि से सभी सेवानिवृत्ति लाभ लागू सेवा नियमों के अनुसार ब्याज सहित जारी करें।

(अरुण मोंगा), न्यायाधीश

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।